छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के अंतर्गत राशनकार्ड हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र

ग्राम / वार्ड का कोड* | | | | | | | | | | | | | | |

ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का कोड* | | | | | | | | | | |

उचित मूल्य दुकान का कोड* | | | | | | | | | | |

प्रति,

राशनकार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी,
ग्राम / वार्ड ....
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय ....
तहसील / विकासखंड .... जिला– ....

1. मैं ....(परिवार की ज्येश्ठतम महिला सदस्य / महिला मुखिया का नाम**), पिता / पति ....
2. जाति – अनु. जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य ....(जाति लिखें)
3. वर्तमान पता – मकान नंबर .... गली नंबर ....
मोहल्ला ....वार्ड नंबर ....
4. मेरे / .... के नाम पर परिवार हेतु अन्त्योदय अन्न योजना / अन्नपूर्णा योजना / मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना / एपीएल योजना का .... रंग का नवीनीकृत राशनकार्ड कमांक | | | | | | | | | | | | | | | जारी है।
(आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय राशनकार्ड साथ लावें)
अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर राशनकार्ड जारी नहीं है। [ ]
5. मेरा / परिवार के अन्य सदस्य का मोबाईल कमांक | | | | | | | | | | | है।
6. मेरे परिवार में .... के नाम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना / मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्टकार्ड (यदि जारी हो तो) कमांक .... जारी है।
7. मेरे परिवार के सदस्यों की विवरण (आज की स्थिति में) निम्नानुसार है:–

क्र.	महिला मुखिया / सदस्य का नाम	आयु	लिंग	मुखिया से रिश्ता	मतदाता परिचय पत्र कमांक (केवल वयस्क सदस्यो के लिए)	आधार कार्ड कमांक (यदि हो तो)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला न होने पर परिवार के पुरूष मुखिया का नाम अंकित किया जाये)

8. मैं अथवा मेरे परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता नहीं है एवं केन्द्र अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा सार्वजनिक उपकम, निगम मंडल अथवा स्वशासी संस्था या स्थानीय निकाय में स्थायी अथवा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी (दैनिक वेतनभोगी, मानदेयी तथा चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं है। मै गैर अनुसुचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर (10 एकड़) से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर (20 एकड़) से अधिक असिंचित भूमि धारक नहीं हूँ एवं मेरे पास नगरीय क्षेत्रों में1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित पक्का मकान नहीं है तथा मैं या मेरे परिवार के किसी सदस्य छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एवं वर्तमान में प्रचलित नियम के अंतर्गत राशनकार्ड के लिए अपवर्जित परिवार की श्रेणी में नहीं आता है।

9. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 (2) में अन्त्योदय अन्न योजना/विशेष कर्मचारियों समूह के परिवार की श्रेणी में–

1. मेरा परिवार बैगा/पहाड़ी कोरवा/बिरहोर/कमार/अबुझमाड़िया जनजाति में आता है।
   (सही पर √ का निशान लगायें)
2. परिवार की मुखिया विधवा/परित्यक्ता अथवा एकाकी महिला है ☐
   (यथास्थिति विधवा / परित्यक्ता पर √का निशान लगाये)
3. परिवार की / के मुखिया कैंसर/ एड्स /कुष्ठ रोग / सिकलसेल एनीमिया / टीबी से पीड़ित है ☐
4. परिवार की/के मुखिया निःशक्त है ☐
   स्वयं निःशक्त ☐ पति/पत्नि निःशक्त है ☐
   निःशक्तता का प्रतिशत..................है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. परिवार की/के मुखिया की आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है तथा उनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है ☐
   निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही कमांक ....है।
6. परिवार की/के मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है ☐ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. परिवार की/के मुखिया आवासहीन है
   इंदिरा आवास योजना/नगरीय निकाय की सूची में सरल कमांक ....है।

अथवा

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 (3) में प्राथमिकता वाले परिवार –

8. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार ☐
9. सीमान्त अथवा लघु कृषक परिवार (5 एकड़ तक के भू–स्वामी परिवार)☐
10. असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में
    पंजीकृत ☐ पंजीयन कमांक...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत
    पंजीकृत श्रमिक ☐ पंजीयन कमांक...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अन्त्योदय परिवार के लिए निर्धारित श्रेणी अथवा प्राथमिकता वाले परिवार के लिये निर्धारित श्रेणी में से कमांक ..../................/...................की श्रेणी के अंतर्गत मैं पात्र हूँ तथा मेरे द्वारा उपरोक्त पात्रता वाले परिवार पर √ का निशान अंकित किया गया है। अतः मेरा वर्तमान राशनकार्ड समर्पित कराकर मुझे उपरोक्त योजना का राशनकार्ड जारी किया जाये। ☐

अथवा

मेरा परिवार सामान्य परिवार की श्रेणी के अंतर्गत पात्र है। अतः मेरा वर्तमान एपीएल राशनकार्ड समर्पित कराकर (यदि जारी हो तो), मुझे सामान्य परिवार का राशनकार्ड जारी किया जाये।

10. मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य का नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिलों के राशनकार्ड में दर्ज है। आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती/करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारीयाँ पूर्णतः सत्य है तथा यह इकरार करती/करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं भारतीय दण्ड संहिता तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् दण्ड*** का भागी रहूँगी/रहूँगा।

हस्ताक्षर (मुखिया)

स्थल.....................

नाम ....

दिनांक ....

(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित दर्ज कराया जाए)

एकाकी महिला प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी ....
पति / पिता ....निवासी ग्राम / वार्ड ....
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय .... विधवा / परित्यक्ता है तथा परिवार की महिला मुखिया हैं।

हस्ताक्षर पंचायत सचिव / नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय–..
नाम / पदनाम ....

आवासहीन प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी ....
पति / पिता ....निवासी ग्राम / वार्ड ....
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय ....आवासहीन हैं तथा इनका नाम इंदिरा आवास योजना की सूची / नगरीय निकाय की सूची के कमांक ....पर दर्ज है।

हस्ताक्षर पंचायत सचिव / नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय–..
नाम / पदनाम ....

राशनकार्ड दल के उपयोग हेतु

राशनकार्ड आवेदन हेतु आयोजित शिविर दिनांक ....2013 में आवेदक ....
.... के आधार पर अन्त्योदय परिवार / प्राथमिकता वाले परविार / सामान्य परिवार के लिये राशनकार्ड हेतु पात्र पाया गया अथवा ....
के आधार पर राशनकार्ड हेतु अपात्र पाया गया । अतः आवेदक श्रीमती / कुमारी / श्री..
....पिता / पति ....को ....
. राशनकार्ड जारी किया जावे / राशनकार्ड जारी नहीं किया जावे।

हस्ताक्षर (दल प्रभारी / नोडल अधिकारी) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

हस्ताक्षर (दल सदस्य) ....
नाम व पदनाम

राशनकार्ड आवेदन की पावती

श्रीमती / श्री / कुमारी ....पति / पिता निवासी ग्राम.., ग्राम पंचायत ...., विकासखण्ड ....जिला...से दिनांक..................
.................2013 को ....राशनकार्ड जारी करने का आवेदन प्राप्त किया गया तथा इन्हे ....राशनकार्ड हेतु पात्र पाया गया। राशनकार्ड वितरण हेतु निर्धारित शिविर की तिथि ....2013 को यह पावती प्रस्तुत कर राशनकार्ड प्राप्त करें।

हस्ताक्षर नोडल अधिकारी
ग्राम पंचायत–.................................

नोट–बायें बॉक्स में ग्राम पंचायत कोड एवं दायें बॉक्स में पंजी में आवेदक के दर्ज आवेदन पत्र का सरल कमांक दर्ज करें।